रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 16 जुलाई, 1983

आषाढ़ 25, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग-2

संख्या 1946/15-2-83-27 (46)-77

लखनऊ, 16 जुलाई, 1983

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0--58

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स्डटू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 16 जुलाई, 1983

आषाढ़ 25, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग-2

संख्या 1946/15-2-83-27 (46)-77

लखनऊ, 16 जुलाई, 1983

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0--58

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

भाग–तीन–भर्ती

5––सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायगी:––

भर्ती का श्रोत

पद का नाम	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उत्तर प्रदेश शिक्षा (प्रशिक्षित अभिस्नातक) सेवा के स्थायी अध्यापकों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	
		जो स्नातक हों और जिन्होंने कम-से-कम पांच वर्ष (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की सेवा की हो	जो (पुनरभिस्थापन योजना के अधीन) अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले प्रसार शिक्षक और हस्तशिल्प अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों
1	2	3	4
1––सहायक अध्यापक (सामान्य)	35 प्रतिशत	30 प्रतिशत	35 प्रतिशत
2––सहायक अध्यापक (विज्ञान)	35 ,,	30 ,,	35 ,,
3––सहायक अध्यापक (कृषि) ..	35 ,,	30 ,,	35 ,,
4––सहायक अध्यापक (उद्यानकर्म)	35 ,,	30 ,,	35 ,,
5––सहायक अध्यापक (भाषा)	35 ,,	30 ,,	35 ,,
6––कैरियर मास्टर ..	35 ,,	30 ,,	35 ,,
7––सहायक अध्यापक (कला)	35 ,,	30 ,,	35 ,,
8––सहायक अध्यापक (संगीत)	35 ,,	30 ,,	35 ,,
9––सहायक अध्याक (कताई और बुनाई)	100 ,,	..	..
10––सहायक अध्यापक (शारीरिक शिक्षा)	35 ,,	30 ,,	35 ,,
11––सहायक अध्यापक (काष्ठ शिल्प)	35 ,,	30 ,,	35 ,,
12––सहायक अध्यापक (धातु शिल्प)	100 ,,	..	..
13––सहायक अध्यापक (प्लास्टिक शिल्प)	100 ,,	..	..
14––मुख्य अनुदेशक (शिक्षा प्रसार)	35 ,,	30 ,,	35 ,,
15––प्राविधिक सहायक (राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय)	35 ,,	30 ,,	35 ,,
16––हस्त शिल्प अध्यापक (कार्य का अनुभव)	..	100 ,, सी0 टी0 श्रेणी के हस्त शिल्प अध्यापकों में से	..
17––सहायक कृषि अध्यापक (कार्य का अनुभव)	..	100 प्रतिशत सी0 टी0 श्रेणी के प्रसार अध्यापकों में से ।	..
18––हस्त शिल्प अध्यापक	..	100 प्रतिशत सी0 टी0 श्रेणी के हस्त शिल्प अध्यापकों में से ।	..

1	2	3	4
19--प्रसार अध्यापक ..	..	100 प्रतिशत सी० टी० श्रेणी के प्रसार अध्यापकों में से ।	..
20--हस्त शिल्प प्राविधिज्ञ ..	..	100 प्रतिशत सी० टी० श्रेणी के शिल्प अध्यापकों में से ।	..
21--प्रोफेसर (अरबी)	राजकीय ओरियन्टल कालेज, रामपुर के लिये । 100 प्रतिशत	..	..
22--प्रोफेर (फारसी)	100 ,,	..	..
23--सहायक अध्यापक (मृतिका शिल्प)	100 ,,	..	..

पद का नाम	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	उत्तर प्रदेश शिक्षा (प्रशिक्षित अभिस्नातक) सेवा की उन स्थायी अध्यापिकाओं में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा
		जो स्नातक हों और जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की हो
1	2	3
एल० टी० श्रेणी (महिला शाखा)		
1--सहायक अध्यापिका (सामान्य)	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत
2--सहायक अध्यापिका (विज्ञान)	70 ,,	30 ,,
3--सहायक अध्यापिका (भाषा)	70 ,,	30 ,,
4--सहायक अध्यापिका (कला)	70 ,,	30 ,,
5--सहायक अध्यापिका (संगीत)	70 ,,	30 ,,
6--सहायक अध्यापिका	70 ,,	30 ,,
7--सहायक अध्यापिका (शारीरिक प्रशिक्षण)	70 ,,	30 ,,
8--शिल्प अध्यापिका (सिलाई)	70 ,,	30 ,,
9--शिल्प अध्यापिका (व्यवसाय)	70 ,,	30 ,,

अवधेय:--क्रम संख्या 16,17, 18, 19 पर दिखाये गये पद लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। इन पदों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभागीय चयन द्वारा भरा जाता है :

परन्तु यदि सहायक अध्यापक (कताई और बुनाई, धातु शिल्प और प्लास्टिक शिल्प) और प्रोफेसर (अरबी) और प्रोफेसर (फारसी) के पदों पर पदोन्नति के लिये अभिस्नातक श्रेणी के अध्यापकों में से उपयुक्त अर्हता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है ।

टिप्पणी:--प्रसार अध्यापकों और शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति पुरुष शाखा में सामान्य संवर्ग के प्रति मद संख्या 1 से 8, 10, 11 और 14-15 के पदों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए की जायगी :

(एक) सी० टी० ग्रेड श्रेणी में कार्यरत और पुनरभिस्थापन योजना के अधीन 11 अप्रैल, 1980 तक नियुक्त किये गये यथाविधि अर्ह प्रसार अध्यापक और शिल्प अध्यापक पदोन्नति के लिये पात्र होंगे ।

(दो) इस समय कार्यरत पात्र प्रसार अध्यापकों और शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति/सेवानिवृत्ति के पश्चात् यह सुविधा समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात प्रसार अध्यापकों शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का विहित प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा भरा जायगा ।

आरक्षण

6--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग--चार--अर्हतायें

राष्ट्रीकता

7--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी--

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा, और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणी :--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षिक अर्हतायें

8--सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्न-लिखित अर्हतायें, या सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गयी अर्हतायें रखता हो :--

क्रम-संख्या	पद	अर्हता	अधिमानी अर्हता
1	2	3	4
1	सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (सामान्य) और मुख्य अनुदेशक, शिक्षा प्रसार कार्यालय ।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल० टी० डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा ।	..
2	सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (विज्ञान)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल० टी० डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा ।	..

1	2	3	4
3	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (भाषा) (क) (हिन्दी)	हिन्दी में (मुख्य विषय के रूप में) स्नातक की उपाधि और माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट या एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा । 2--एल0 टी0 में डिप्लोमा या बी0 टी0 या बी0 एड0 अधिमानी । 3--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से साहित्य रत्न (दो वर्ष पाठ्यक्रम)	..
	(ख) संस्कृत	संस्कृत विषय के साथ स्नातक की उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल0 टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा । या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी से आचार्य या शास्त्री की उपाधि और एल0 टी0, बी0टी0 या बी0एड0 । या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री की उपाधि (अंग्रेजी विषय के साथ) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।	..
	(ग) उर्दू	उर्दू विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0 टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा ।	..
	(घ) फारसी	फारसी विषय के साथ स्नातक की उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0 टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा । या कामिल (इलाहाबाद या लखनऊ से) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण ।	..
	(ङ) अरबी ..	अरबी को एक विषय के रूप में लेकर स्नातक की उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0 टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा-शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा । या फाजिल (इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय से) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण ।	..

1	2	3	4
4	कैरियर मास्टर	1--50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0 टी0 या बी0 एड0 या एल0 टी0।	1--कृषि स्नातकों को अधिमानता दी जायगी।
		2--तीन वर्ष का शिक्षण का अनुभव या कम से कम एक वर्ष के शिक्षण के अनुभव के साथ मार्गदर्शन में डिप्लोमा।	2-कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण या ग्रामीण जीवन का पर्याप्त अनुभव जिससे ग्रामीण बालकों की समस्याओं और ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवसायिक और औद्योगिक समस्याओं को समझ सकें।
5	सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (कला)	1--माध्यमिक शिक्षा परिशद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समक्ष कोई अन्य परीक्षा और कला अध्यापक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (जिसे पहले राजकीय कला-शिल्प विद्यालय लखनऊ का ड्राइंग शिक्षक प्रमाण-पत्र कहा जाता था) या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रमाण-पत्र।	
		2--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता-प्राप्त कोई अन्य उपाधि और राजकीय ड्राइंग और हस्त शिल्प केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र (जो अब समाप्त कर दिया गया है) या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रमाण-पत्र।	
		3--निम्नलिखित किसी एक परीक्षा में प्राविधिक ड्राइंग के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा:--	
		(क) राजकीय कलाशिल्प विद्यालय, लखनऊ का ललित कला डिप्लोमा।	
		(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि।	
		(ग) कला भवन, शान्ति निकेतन का ललित कला का डिप्लोमा, या	
		(घ) फाइनल ड्राइंग टीचरशिप इक्जामिनेशन, कलकत्ता या	
		(ङ) टीचर सीनियर सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन मेयर स्कूल आफ आर्टस्, लाहौर।	

1	2	3	4
6	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (शारीरिक शिक्षा)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा।	..
7	सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (संगीत)।	1--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। 2--स्वर और वाद्य-संगीत का ज्ञान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भात खण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद या प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर।	..
8	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (कताई और बुनाई)	कताई और बुनाई में विशेषज्ञता के साथ रचनात्मक या बेसिक एल0 टी0 या इण्टरमीडिएट और वस्त्रोद्योग संस्थान, कानपुर में 5 वर्ष का प्रशिक्षण या इण्टरमीडिएट और राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ से कताई और बुनाई में पुराना दो वर्ष का सी0 टी0 पाठ्यक्रम।	..
9	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (मृत्तिका शिल्प)।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मृत्तिका शिल्प में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0 टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0 टी0, बी0 एड0। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में मृत्तिका शिल्प के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और एल0 टी0 (रचनात्मक) प्रशिक्षण का मृत्तिका शिल्प में विशेषज्ञता भी। (उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जायगी जिन्हें प्रशिक्षण महाविद्यालय / इण्टरमीडिएट कालेज/ नार्मल स्कूल में अध्यापन का अनुभव हो)।	..
10	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (प्लास्टिक शिल्प)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि और एल0 टी0 (रचनात्मक) का डिप्लोमा। प्लास्टिक शिल्प में विशेषज्ञता। (उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जायगी जिन्हें प्रशिक्षण महाविद्यालय/इण्टरमीडिएट कालेज/नार्मल स्कूल में अध्यापन कार्य का अनुभव हो)	..
11	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (धातु शिल्प)।	स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और एल0 टी0 (रचनात्मक) का डिप्लोमा / धातु शिल्प में विशेषज्ञता।	..

1	2	3	4
		(उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जायगी जिन्हें प्रशिक्षण महाविद्यालय/इण्टरमीडिएट कालेज/नार्मल स्कूल में अध्यापन कार्य का अनुभव हो)।	..
12	सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (काष्ठ शिल्प)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। एल0टी0 (रचनात्मक) का डिप्लोमा। काष्ठ शिल्प में विशेषज्ञता या एल0टी0/बी0टी0/बी0एड0 और गवर्नमेन्ट उड वर्किंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद/बरेली का डिप्लोमा धारक।	..
		(उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जायगी जिन्हें प्रशिक्षण महाविद्यालय/इन्टरमीडिएट कालेज/नार्मल स्कूल में अध्यापन कार्य का अनुभव हो)।	..
13	प्राध्यापक (शिल्प)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और एल0टी0 का डिप्लोमा या बी0टी0/बी0एड0।	.
		(उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जायगी जिन्हें प्रशिक्षण महाविद्यालय/इन्टरमीडिएट कालेज/नार्मल स्कूल में अध्यापन कार्य का अनुभव हो)।	..
14	सहायक अध्यापक (कृषि/उद्यानकर्म)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/उद्यानकर्म में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल0टी0 का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।	..
15	सहायक अध्यापिका (गृह विज्ञान)	1--किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान या सौपरिवेशिकी (यूथेनिक्स) में उपाधि।	..
		2--एल0टी0 में डिप्लोमा या बी0टी0 या बी0एड0।	..
		या	
		इण्टरमीडिएट या सीनियर कैम्ब्रिज और लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली से तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	..
		3--हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान।	
16	शिल्प अध्यापक/अध्यापिका (कार्य का अनुभव)	एल0टी0 (बेसिक) या एल0टी0 (रचनात्मक) और संबद्ध शिल्प में विशेषज्ञता।	..
17	सहायक कृषि अध्यापक	बी0एस-सी0 (कृषि)	..
18	शिल्प अध्यापक/अध्यापिका (पुनरभिस्थापन)	एल0टी0 (बेसिक) या एल0टी0 (रचनात्मक) और संबद्ध शिल्प में विशेषज्ञता।	..
19	प्रसार अध्यापक	बी0एस-सी0 (कृषि)	..
20	शिल्प प्राविधिज्ञ	बी0ए0, एल0टी0 (रचनात्मक) और शिल्प में विशेषज्ञता।	शिल्प में अतिरिक्त अर्हता।

अधिमानी अर्हतायें

9--अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसमें--

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10--सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवत हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13--किसी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि :

(क) किसी राजपत्रित पद या सेवा की स्थिति में, वह चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय।

(ख) सेवा में अन्य पदों की स्थिति में, वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेंन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग--पांच---भर्ती की प्रक्रिया

(जब भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी हो)

रिक्तियों का अवधारण

14--शिक्षा निदेशक, नियुक्ति प्राधिकारियों से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उनकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15--(1) सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिये विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे जिसे आयोग के सचिव से भुगतान करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों को, उनकी प्रवीणता-क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उपयुक्त क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16--पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायगी।

संयुक्त चयन सूची

17--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

भाग--छः--नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18--(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथा स्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथा-स्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठताक्रम में किया जायगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से प्राप्त तदर्थ नियुक्ति के लिये चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी, और जहां पद आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हों, वहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5(क) के उपबन्ध लागू होंगे।

(5) तदर्थ नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों का चयन पहले ही की तरह शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्रीय तौर पर किया जायगा उनकी सूची के पूरी हो जाने के पश्चात् शिक्षा निदेशक अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेज देगा। सूची अभ्यर्थियों के विकल्प के अनुसार संभागवार तैयार की जायगी।

परिवीक्षा

19--(1) किसी पद पर या सेवा में किसी स्थायी रिक्ति में, या उसके प्रति, नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षाअवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित या किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाअवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षाअवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायगा, यदि--

(क) उसका कार्य और आरचण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21--(1) (एक) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा संवर्ग में स्थायी या अस्थायी आधार पर सृजित मौलिक पद पर निरन्तर नियमित नियुक्ति के दिनांक के आधार पर अवधारित की जायगी। किन्तु इस नियम के प्रारम्भ के पूर्व भर्ती किये गये पदधारियों की ज्येष्ठता इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त पद्धति/के नियमों के अनुसार निर्धारित की जायगी।

(दो) ज्येष्ठता उपर्युक्त नियम के अनुसार संभागवार अवधारित की जायगी। ज्येष्ठता निर्धारित करने के पहले प्रत्येक पदधारी से इस संबंध में कि वह किस विशिष्ट संभागीय संवर्ग में समायोजित होना चाहता है विकल्प प्राप्त कर लिया जायगा। उस दिनांक तक जब तक कि कोई पदधारी उसके द्वारा विकल्पित संवर्ग में तैनात नहीं किया जाता, वह बिना किसी अन्य लाभ के अन्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जायगा :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप में नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे, कारणों की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

(4) जहां नियुक्तियां, पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जायं और श्रोतों का अलग-अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी एक संयुक्त सूची में उनके नाम चक्रानुक्रम में रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु--

(एक) जहां किसी एक श्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जांय, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को, ज्येष्ठता के लिये अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे रखा जायगा।

(दो) जहां किसी श्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तयां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायें, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे, जिसके बाद नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के नाम, चक्रानुक्रम में, रखे जायेंगे।

(तीन) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार, किसी श्रोत से भरी न गयी रिक्तियां, सुसंगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में अन्य श्रोत से भरी जा सकती हैं, और इस प्रकार कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायें, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की ज्येष्ठता दी जायगी मानो उन्हें उनके कोटे के प्रति नियुक्त किया गया है।

भाग-सात--वेतन इत्यादि

वेतनमान

22--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:--

पद का नाम	वेतनमान
1---प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष शाखा)	540-15-600-20-640-द0 रो0-20-760-द0 रो0-30-910 रुपया।
2---प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (महिला शाखा)	तदैव

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23--(1) फन्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फन्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड

24--किसी भी व्यक्ति को--

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग-आठ--अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25---किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो, या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26---ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27---जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा।

व्यय वृत्ति

28--इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका, इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र त्रिपाठी,

शिक्षा सचिव।

परिशिष्ट "क"

(नियम 4 देखिये)

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा--सामान्य शाखा की सदस्य संख्या

पद का नाम			पदों की संख्या	
			स्थायी	अस्थायी
1			2	3
सहायक अध्यापक (एल0 टी0 श्रेणी)			1492	2704
शिल्प शिक्षक (कार्य का अनुभव)		(पुरुष)	..	62
		(महिला)	..	10
सहायक कृषि शिक्षक (कार्य का अनुभव)			..	142
शिल्प शिक्षक				
पुनरस्थिापन	1--पुरुष		45	..
	2--महिला		6	..
आयोजनेतर	1--पुरुष		..	30
	2--महिला		..	15
प्रसार शिक्षक			737	263
शिल्प प्राविधिज्ञ			1	

पुरुष शाखा

(ख) प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा का विभाजन--सामान्य शाखा

संभाग का नाम	पदों की संख्या
पौड़ी संभाग	1218
नैनीताल संभाग	1107
मेरठ संभाग	155
आगरा संभाग	160
बरेली संभाग	336
लखनऊ संभाग	195
इलाहाबाद संभाग	208
वाराणसी संभाग	282
झांसी संभाग	235
गोरखपुर संभाग	116
फैजाबाद संभाग	184
पदों की कुल संख्या ..	4196

परिशिष्ट "ख"

(नियम 4 देखिये)

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा की सदस्य संख्या

महिला शाखा

पद का नाम	पदों की संख्या	
	स्थायी	अस्थायी
1	2	3
सहायक अध्यापिका एल0 टी0 श्रेणी (महिला शाखा)	964	933

(ख) प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा (महिला शाखा) का विभाजन–सामान्य शाखा

संभाग का नाम	पदों की संख्या
पौड़ी गढ़वाल संभाग	173
नैनीताल संभाग	209
मेरठ संभाग	194
आगरा संभाग	129
बरेली संभाग	181
लखनऊ संभाग	186
इलाहाबाद संभाग	141
वाराणसी संभाग	177
झांसी संभाग	174
गोरखपुर संभाग	157
फैजाबाद संभाग	176
पदों की कुल संख्या ..	1897

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4946/XV-2—27 (46)-77, dated July 6, 983 :

No. 4946/XV-2—27 (46)-77

Dated Lucknow, July 6, 983

IN exercise of the powers conferred by the provisiso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the U. P. Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service:

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE EDUCATIONAL (TRAINED GRADUATES GRADE) SERVICE RULES, 1983

PART I—GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These Rules may be called as the Uttar Pradesh Subordinates Educational (Trained Graduates Grade) Service Rules, 1983.

(2) They shall come into force atonce.

Status of the service.

2. The Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service Comprises Group 'C' posts.

Definitions.

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) 'appointing authority' means Regional Deputy Director of Education in case of Men's Branch and Regional Inspectress of Girls School in respect of Women's Branch;

(*b*) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(*c*) 'commission' means the Public Service Commission, Uttar Pradesh;

(*d*) 'constitution' means the Constitution of India;

(*e*) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(*f*) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(*g*) 'Member of the Service' means a persons substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(*h*) 'Service' means the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service;

(*i*) 'Substantive appointment' means an appointment not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(*j*) 'Year of recruitment' means a period of twelve month commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II—Cadre

Cadres of Service.

4. (1) There shall be regional cadres both for men and women branches.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the government from time to time.

(3) The strength of the service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (2) , be as given in Appendix 'A' (in respect of Men's Branch and Appendix 'B' in respect of Women's Branch).

Provided that—

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation;

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

(4) Initially the regional cadres will be constituted out of the existing Uttar Pradesh Trained Graduate's cadre. The incumbents of the existing L. T. Grade will be required to give their option within a month of the notification of these rules in regard to the new regional cadre to which they opt. The optional once exercised shall be final.

In case it is not possible to place the incumbent initially in the opted cadre, he/she will be treated on deputation in other cadre without any additional benefit till such time as he/she gets his/her opted cadre.

PART III—RECRUITMENT

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources : Source of recruitment.

Designation of posts	By direct recruitment through commission	By promotion through commission from amongst the permanent teachers of the Uttar Pradesh Educational (Trained Unnder-Graduate) service	
		Who are graduate and who have put in at least 5 years service (including temporary service)	Who are working as extension teachers and craft teachers having requisite qualification under re-orienta tion scheme
1	2	3	4
Men's Branch :	Per cent	Per cent	Per cent
1. Assistant Master (General) ..	35	30	35
2. Assistant Master (Science) ..	35	30	35
3. Assistant Master (Agriculture) ..	35	30	35
4. Assistant Master (Horticulture) ..	35	30	35
5. Assistant Master (Language) ..	35	30	35
6. Carrier Master	35	30	35
7. Assistant Master (Art) ..	35	30	35
8. Assistant Master (Music) ..	35	30	35
9. Assistant Master (Spinning and weaving)	100	..	..
10. Assistant Master (Physical Education)	35	30	35
11. Assistant. Master (wood craft) ..	35	30	35
12. Assistant Master (Metal Craft) ..	100	..	..
13. Assistant Master (Plastic craft) ..	100	..	..
14. Chief Instructor (Education Expansion).	35	30	35
15. Technical Assistant (Government Training College).	35	30	35
16. Craft Teacher (Work Experience)	..	100 from C.T. Craft teachers.	..
17. Assistant Agriculture Teacher (work experience)	..	100 from C.T. Extension teachers.	..
18. Craft Teachers	..	100 from C.T. Craft Teachers.	..
19. Extension teachers	..	100 from C.T. Extention teachers.	..
20. Crafter technician for Government Oriental College, Rampur.	..	100 from C.T. Craft Teachers.	..
21. Professor (Arabic) ..	100	..	..
22. Professor (Persian) ..	100	..	..
23. Assistant Master (Ceriemics) ..	100	..	..

L. T. Grade (Women's Branch)

Designation of post	By direct recruitment through commission	By promotion through commission from amongst the permanent teachers of the Uttar Pradesh Educational (Trained Undergraduate) Service
		Who are graduates and who have put in at least 5 years service (including temporary service)
1	2	3
	Per cent	Per cent
1. Assistant Mistress (General) ..	70	30
2. Assistant Mistress (Science) ..	70	30
3. Assistant Mistress (Language)	70	30
4. Assistant Mistress (Art)	70	30
5. Assistant Mistress(Music)	70	30
6. Assistant Mistress	70	30
7. Assistant Mistress (P.T.) ..	70	30
8. Craft Mistress (Tailoring) ..	70	30
9. Craft Mistress (Trading)	70	30

N. B.—Post shown at serial nos. 16, 17, 18, 19 are not under the perview of Public Service Commission, U. P. These posts are filled by the appointing authority through departmental selection:

Provided that if suitably qualified candidates are not available for promotion from amongst the teachers of undergraduate grade to the posts of Assistant teacher (Spinning and Weaving, Metal craft and Plastic Craft) and Professor (Arabic) and Professor (Persian), the posts may be filled by direct recruitment.

NOTE—Extension teachers and craft teachers will be given promotions to the posts in Men's Branch against the General cadre at items 1 to 8, 10, 11, and 14, 15 subject to the following conditions :—

(i) duly qualified extension teachers and craft teachers working in C. T. Grade and appointed up to April 11, 1980 under Reorientation Scheme will be eligible for promotion.

(ii) these privileges shall come to an end after the eligible extension teachers and craft teachers working at present are promoted/retired and thereafter through the percentage of vacancies prescribed to be filled by promotion of the extension teachers/craft teachers will be filled by direct recruitment.

Reservation.

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV—QUALIFICATION

Nationality.

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be—

(*a*) a citizen of India; or

(*b*) a Tibetan refugee who came over to India before January 1, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(*c*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (foremerely Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a candidate belonging to category (*b*) or (*c*) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government

Provided further that a candidate belonging to category (*b*) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (*c*) above, no certificate of eligibility will issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications or as specified by the government from time to time.

Academic qualification.

Serial no.	Post	Qualification	Preferential qualification
1	2	3	4
1	Assistant Master/ Assistant Mistress (General) and Chief Instructor in Education expansion office.	Bachelor's degree in respective subject from a recognised University or a degree recognised by the Government as equivalent thereto and L.T. Diploma of a Training College or Degree or Diploma in Education from a recognised University.	
2	Assistant Master/ Assistant Mistress (Science).	Bechelor's Degree in Science in respective subjects from a recognised University or a degree recognised by the Govenment as equivalent there to and L. T. Diploma of a Training College or Degree or Diploma in Education from a recognised University.	
3	Assistant Master/ Assistant Mistress (Language) (*a*) (Hindi).	Bachelor's Degree with Hindi (main subject) and Intermediate with Sanskrit from the Madhyamik Shiksha Parisad, U. P. or an equivalent examination with Sanskrit. (2) Diploma in L. T. or B.T. or B.Ed. *Preference*: (3) Sahityratna (2 years course) from the Hindi Sahitya Sammelan, Prayag.	
	(*b*) Sanskrit	Bachelor's Degree with Sanskrit and L. T. Diploma of a Training College or Degree or Diploma in Education from a recognised University. *Or* Acharya or Shastri Degree from Government Sanskrit College, Varanasi and L.T., B.T. or B.Ed. *Or* Shastri Degree (with English) from Government Sanskrit College, Varanasi and Refresher Course Training.	
	(*c*) Urdu	Bachelor's Degree from a recognised University or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto with Urdu and L.T. Diploma of a Training College or Degree or Diploma in Education from a recognised University.	

1	2	3	4
	(*d*) Persian ..	Bachelor's Degree with Persian and L.T. Diploma of a Training College or Degree or Diploma in Education from a recognised University. *Or* Kamil (from Allahabad or Lucknow) and Refresher Course Training.	
	(*e*) Arabic	Bachelor's Degree with Arabic as a subject and L.T. Diploma of a Training College or Degree or Diploma in Education from a recognised University. *Or* Fazil (Allahabad or Lucknow) and Refresher Course Training.	
4	Career Master	1. Bachelor's Degree with 50 per cent marks and B.T. or B.Ed. or L.T. from a recognised University. 2. Three years or teaching experience or Diploma in guidance with not less than one year teaching experience.	1. Graduates in Agriculture to be given preference. 2. Career Master's Training or enough rural background so as to understand the problems of rural children and occupational and industries in rural areas.
5	Assistant Master/ Asstt. Mistress (Arts).	1. Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or any equivalent examination with Art Masters Training certificate (formerely known as Drawing teacher Certificate) of Government School of Arts and Crafts. Lucknow or a certificate recognised as equivalent thereto. 2. Bachelor of Arts Degree from a recognised University or a degree recognised as equivalent thereto with a certificate awarded by the Government Drawing and Handicrafts Centre, Allahabad (since abolished) or a certificate recognised an equivalent thereto. *Or* 3. Intermediate Examination with Technical Drawing with one of the following examination — (*a*) Fine Arts Diploma of the Government School of Arts and Crafts, Lucknow. *Or* (*b*) B. A., with Drawig and Painting from a recognised University or a degree recognised by the Government or equivalent thereto.	

1	2	3	4
		(c) Fine Art Diploma of Kala Bhawan Shantiniketan *Or* (b) Final Drawing Teachership Examination, Calcutta *Or* (e) Teacher Senior Certificate Examination Mayor School of Arts, Lahore.	
6	Asstt. Master/ Asstt. Mistress (Physical Education)	Bachelor's Degree from a recognised University or a degree recognised by the Government as equivalent thereto and Diploma in Physical Education.	
7	Asstt. Master/ Asstt. Mistress (Music).	1. Bachelor's Degree from a recognised University or a degree by the Government as equivalent thereto. 2. Knowledge of vocal and Instrumental Music and Senior Diploma in Music from Allahabad University or Sangeet Visharad from Bhatkhande Sangeet Mahavidyalaya or Sangeet Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad.	
8	Asstt. Master/ Asstt. Mistrss (Spinning and Weaving).	Constructive or Basic L.T. with specialisation in Spinning and Weaving or Intermediate with 5 years training in Textile Institute, Kanpur or Intermediate with old two years C.T. Course in Spinning and Weaving at the Government Constructive Training College, Lucknow.	
9	Asstt. Master/ Asstt. Mistress (Ceramics)	Post-Graduate Degree in Ceramics from a recognised University or a degree recognised by the Government as equivalent thereto and L.T. Diploma of a Training College or B.T., B.Ed. from a recognised University. *Or* Post-graduate and Bachelor's Degree with ceramics. From a recognised University or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto. Also specialisation in Ceramics in L.T. (Constructive) Training. (Candidates having teaching experience in Training College/Intermediate College/Normal School are to be given preference).	
10	Asstt. Master/ Asstt. Mistress (Plastic Craft).	Post-graduate Degree from a recognised University or a degree recognised by the government as equivalent thereto with Diploma in L.T. (Constructive) Specialisation in Plastic Craft. (Candidates having teaching experence in Training College/Intermediate College/Normal School are to give preference.)	

1	2	3	4
11	Asstt. Master/ Asstt. Mistress (Metal Craft).	Post-graduate Degree or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto and Diploma in L.T. (Constructive) Specialisation in Metal Craft. (Candidates having teaching experience in training College/Intermediate college/Normal Schools are to be given preference).	
12	Asstt. Master/ Asstt. Mistress (Wood Craft)	Post-graduate Degree from a recognised University or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto. Diploma in L.T. (Constructive) and Specialisation in Wood Craft, or L.T./B.T., B.Ed. and Diploma holder from Government Wood Working Institute, Allahabad/ Bareilly. (Candidates having teaching experience in Training College/ Intermediate College/Normal Schools are to be given preference).	
13	Lecturer (Craft)	Post-graduate Degree from a recognised University or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto with Diploma in L.T. or B.T./B.Ed. (Candidates having teaching experience in Training College/Intermediate Colleges/Normal Schools are to be given preference).	
14	Asstt. Master (Agriculture/ Horticulture).	Bachelor's Degree in Agriculture/Horticulture from a recognised University or a Degree recognised by the Government as an equivalent thereto and L.T. Diploma of a Training College or a degree or Diploma in Education from a recognised University.	
15	Asstt. Mistress (Home Science).	1. A Degree of a University with Arts or Home Science or Euthenics. 2. Diploma in L.T. or B.T. or B.Ed. *Or* Intermediate or Senior Cambridge with 3 years Diploma Course of the Lady Ervin College, New Delhi. 3. Working knowledge of Hindi.	
16.	Craft Teacher/ Mistress (Work experience).	L.T. (Basic) or L.T. (Constructive) with specialisation in allied craft.	
17	Asstt. Agriculture teacher.	B.Sc. (Ag.)	
18	Craft teacher/ Mistress(Re-orientation).	L.T. (Basic) or L.T. (Constructive) with specialisation in allied craft.	
19	Extension teacher	B.Sc. (Ag.)	
20	Craft Technician	B.A., L.T. (Constructive) with specialisation in craft.	Additional qualification in craft.

Preferential qualfication.

9. A candidate who has—

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years,

or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps,

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 30 years on January 1 of the year in which recruitment i s to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on Julv 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31: age.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. Character.

NOTE :—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service, persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. A male candidate who has more than one wife living or female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service: Marital Status.

Provided that the Governemnt may, if satisfied that there exist special exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely interfere with the effecient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required : Physical Fitness.

(*a*) in the case of a gazetted post or service, to pass an examination by a Medical Board.

(*b*) in the case of other posts in the service to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with rules framed under Fundamental rule 10, contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III.

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a cardidate recruited by promotion.

PART-V PROCEDURE FOR RECRUITMENT

(When recruitment is to be made through Public Service Commission)

14. The Director of Education Shall determine and intimate to the Commission the number of Vacancies to be filled during the course of the year as also the number of Vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories under rule 6 after obtaining the necessary details from the appointing authorities. Determination of Vacancies.

15. (1) Application for being considered for selection by direct recruitment shall be called by the Commission in the perscribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment. Procedure for direct recruitment.

(2) The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications as they consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 per cent) than the number of the vacancies. The commission shall forward the list to the Director of Education, U. P.

Procedure for recruitment by promotion.

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

Combined Select list.

17. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candiates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained the, first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment.

18. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appintment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists proposed under rules 15, 16 or 17 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment in by promotion regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointment are made both by direct recruitment and by promotion names shall be arranged in accordance with the list prepared under rule 17.

(4) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list referred to in sub-rule (*i*). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst the list of selected candidates for *ad hoc* appointment received from the Director of Education, Uttar Pradesh. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rule whichever be earlier, and where the post in within the perview of the commission, the provisions of regulation 5(*a*) of the U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations 1954 shall apply.

(5) Selections of the candidates for *ad hoc* appointment will bed one as usual centrally by the Director of Education, Uttar Pradesh. After the completion of list the Director of Education will send the list of candidates to the appointing authority. The list will be prepared Region-wise according to the option of the candidates.

Probation.

19. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extention is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probation has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent of higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

20. A probationer shall be confirmed in his/her appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if— Confirmation.

(*a*) his/her work and conduct are reported to be satisfactory.

(*b*) his/her integrity is certified, and

(*c*) the appointing authority is satisfied that he/she is otherwise fit for confirmation.

21. (1) (i) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of post shall be determined on the basis of the date of continuous regular appointment against the substantive post created by Government on permanent or temporary basis in the cadre. But the seniority of the incumbent recruited before the commencement of this rule will be fixed in accordance with the practice/Rules in force before the commencement of this rule. Seniority.

(ii) Seniority will be determined region-wise according to the above rules, Before fixing the seniority option from each incumbent will be obtained as regards the particular regional cadre in which he wants to be accommodated the date up to which any incumbent cannot be posted to the cadre optedly him/her, he/she will be treated on deputation in other cadre without any other benefit:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other cases it will mean the date of issue of the order:

Provided further that, if more than one order of appointments are issued in respect of any one Selection the seniority shall be as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (3) of rule 18.

(2) The seniority *inter se* of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the commission, or ,as the case may be, by the Selection Committee:

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority of he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reason shall be final.

(3) The seniority *inter se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the *inter see* seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordiance with rule 17, in such manner that the prescribed percentage is mentioned :

Provided that :

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed for seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in down, accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this rule their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointments in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies of their quota.

Part VII—Pay Etc

22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time. Scales of pay.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as follows :

	Name post	*Scale of pay*
1.	Trained Graduates Grade (Men's Branch).	Rs.540—15—600—20—640—E.B.—20—760—E.B.—30—910.
2.	Trained Graduate Grade (Women's Branch).	Ditto.

Pay during Probation.

23. (1) Notwithtsanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has complete one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfcation, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of person who was already holdins a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government Servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Criterian for clossing efficiency bar.

24. No person shall be allowed to cross :—

(i) the first efficiency bar unless his/her work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified, and

(ii) the second efficiency bar unless he/she has worked deligently and to the best of his/her ability, his/her work and conduct are found to be satisfactory and unless his/her integrity is certified.

PART VIII—OTHER PROVISIONS

Canvassing.

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration any attempt on the part of a condition to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulatin of other matters.

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service.

27. Where the State Government is satisfied that the operaton of any rule regulating the conditions of service of person appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything conained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in as just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings.

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE EDUCATIONAL (TRAINED GRADUTES GRADE) SERVICE RULES, 1982

APPENDIX 'A'

(*See* RULE 4)

(*a*) *Strength of U. P. Educational (Trained Graduates Grade) Service General Branch.*

Designation of post		Number of posts	
		Pernament	Temporary
1		2	3
Assistant Master (L.T. Grade)	.. ..	1492	2704
Craft Teacher (Work experience)	Male	..	62
	Female	..	10
Asstt. Agriculture Teacher (Work experience)	.. .. ..	..	142
Craft Teacher :			
Reorientation	1. Male	45	..
	2. Female	6	..
Non-Plan	1. Male	..	30
	2. Female	..	15
Extension Teacher	.. .. ..	737	263
Craft Technician ..	.. .. ..	1	..

(*Men's Branch*)

(*b*) *Break-up of Trained Graduates Grade Service—General Branch—*

Name of the Region	*Number of posts*
Pauri Region	1,218
Nainital Region	1,107
Meerut Region	155
Agra Region	160
Bareilly Region	336
Lucknow Region	195
Allahabad Region	208
Varanasi Region	282
Jhansi Region	235
Gorakhpur Region	116
Faizabad Region	184
Total no. of posts	4196

APPENDIX 'B'

(*See* RULE 4)

(*a*) *Strength of U. P. Educational (Trained Graduates Grade) Service Women's Branch*

Name of Post	Number of posts	
	Permanent	Temporary
1	2	3
Assistant Mistress :		
L.T. Grade (Women's Branch)	964	933

(*b*) *Break-up of Trained Graduates Grade Service (Women's Branch) General Branch*

Name of the Region	*Number of posts*
Pauri-Garhwal Region	173
Nani Tal Region	209
Meerut Region	194

1	2
Agra Region	129
Bareilly Region	181
Lucknow Region	186
Allahabad Region	141
Varanasi Region	177
Jhansi Region	174
Gorakhpur Region	157
Faizabad Region	176
Total no. of posts ..	1,897

By order,

R. C. TRIPATHI,

Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 429 राजपत्र (हि0)— —(1708)–1983–1951 (मेक0)।

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग—2

संख्या : 2761/15-2-92-27(46)/77

लखनऊ, दिनांक 6 नवम्बर 1992

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 1992

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक) श्रेणी (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 1992 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में, खण्ड (ग) निकाल दिया जायगा ।

नियम 5 का संशोधन

3. उक्त नियमावली में नियम 5 में, स्रोत की सारणी में :—

(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये स्तम्भ 2 के वर्तमान शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया शीर्षक रख दिया जायगा, अर्थात :—

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
"आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा"	"चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा"

(ख) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये स्तम्भ 3 और 4 के वर्तमान शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया शीर्षक रख दिया जायगा, अर्थात :—

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
वर्तमान शीर्षक	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित शीर्षक**
उत्तर प्रदेश शिक्षा (प्रशिक्षित अभिस्नातक) सेवा के स्थायी अध्यापकों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	उत्तर प्रदेश शिक्षा (प्रशिक्षित अभिस्नातक) सेवा के मौलिक रूप से नियुक्त अध्यापकों में से चयन समित के माध्यम से पदोन्नति द्वारा
जो स्नातक हों और जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष (जिसके अन्तर्गत	जो (पुनरभि स्थापन योजना के अधीन) अपेक्षित अर्हताएँ रखने	जो स्नातक हों और जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष (जिसके	जो (पुनरभिस्थापन योजना के अधीन) अपेक्षित अर्हताएँ रखते हुए प्रसार शिक्षक और हस्त-

अस्थायी सेवा भी है) की सेवा की हों	वाले प्रसार शिक्षक और हस्तशिल्प अध्यापक के रूप में कार्य कर रहें हों।	अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की, सेवा की हो	शिल्प अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों
	3	4	3	4

नियम 8 का संशोधन

4. उक्त नियमावली में, नियम 8 में शैक्षिक अर्हता की सारणी में—

(क) नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये क्रमांक 1, 2, 5, 8 और 15 पर वर्तमान मदों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दी गयी मदें स्तम्भवार रख दी जायेंगी :—

स्तम्भ—1		स्तम्भ—2	
वर्तमान मद		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मद	
1. सहायक अध्यायक सहायक अध्यापिका (सामान्य) और मुख्य अनुदेशक, शिक्षा प्रसार कार्यालय।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल० टी० डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।	1. (क) सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (सामान्य) और मुख्य अनुदेशक, शिक्षा प्रसार कार्यालय।	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल० टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।
		(ख) सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका, (सामान्य) इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र :	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कम से कम किन्हीं दो विषयों में स्नातक की उपाधि। (दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल० टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।

		(ग) सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका, सामान्य अंग्रेजी :	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (द) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल० टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा ।
सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (विज्ञान)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में विज्ञान में स्थातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल० टी० डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा ।	"2–(क) सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका विज्ञान (गणित/विज्ञान)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र विषयों में स्नातक उपाधि । या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल० टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा ।
		(ख) सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका, विज्ञान (जीव विज्ञान)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जन्तु शास्त्र और वनस्पति शास्त्र विषयों से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यलय से एल० टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा ।

सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (कला)	1—माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टर मीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा और कला अध्यापक प्रशिक्षण प्रमाण प्रमाण-पत्र (जिसे पहले राजकीय कला-शिल्प विद्यालय लखनऊ का ड्राइंग शिक्षक प्रमाण-पत्र कहा जाता था) या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रमाण-पत्र । 2—किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से कला स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और राजकीय ड्राइंग और हस्तशिल्प केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र (जो अब समाप्त कर दिया गया है) या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रमाण-पत्र । 3—निम्नलिखित किसी एक परीक्षा में प्राविधिक ड्राइंग के साथ इण्टर मीडिएट परीक्षा :— (क) राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ का ललित कला डिप्लोमा । (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके	5—सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (कला)	1—माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टर मीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा और कला अध्यापक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (जिसे पहले राजकीय कला शिल्प विद्यालय, लखनऊ का ड्राइंग शिक्षक प्रमाण-पत्र कहा जाता था।) या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रमाण-पत्र । 2—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और राजकीय ड्राइंग और हस्तशिल्प केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र (जो अब समाप्त कर दिया गया है) या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रमाण-पत्र । 3—निम्नलिखित किसी एक परीक्षा में प्राविधिक ड्राइंग के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा :— (क) राजकीय कला शिल्प-विद्यालय लखनऊ का ललित कला डिप्लोमा या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके

	समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि । (ग) कला भवन, शान्ति निकेतन का ललित कला का डिप्लोमा, या (ग) फाइनल ड्राइंग टीचर-शिप इक्जामिनेशन, कलकत्ता या (ङ) टीचर सीनियर सर्टि-फिकेट इक्जामिनेशन मेयर स्कूल आफ आर्टस, लाहौर ।		समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि या (ग) कला भवन, शान्ति निकेतन का ललित कला डिप्लोमा, या (घ) फाइनल ड्राइंग टीचर-शिल्प इक्जामिनेशन कलकत्ता या (ङ) टीचर सीनियर सर्टि-फिकेट इक्जामिनेशन, मेयर स्कूल आफ आर्टस लाहौर ।
सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (कताई और बुनाई)	कताई और बुनाई में विशेषज्ञता के साथ रचनात्मक या वेसिक एल० टी० या इण्टरमीडिएट और वस्त्रोद्योग संस्थान, कानपुर में 5 वर्ष का प्रशिक्षण या इण्टरमीडिएट और राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय' लखनऊ से कताई और बुनाई में पुराना दो वर्ष का सी० टी० पाठ्यक्रम	8-सहायक अध्यापक सहायक अध्यापिका कताई और बुनाई	कताई और बुनाई में विशेषज्ञता के साथ रचनात्मक या वेसिक एल० टी० या इण्टरमीडिएट और वस्त्रो द्योग संस्थान, कानपुर में तीन वर्ष का प्रशिक्षण ।
15. सहायक अध्यापिका (गृह विज्ञान)	1—किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान या सौपरिवेशिकी (यूथेनिक्स) में उपाधि 2—एल० टी० में डिप्लोमा या बी० टी० या बी० एड० या इन्टरमीडिएट या सीनियर कैम्ब्रिज और लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली से तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम । 3—हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान	15—सहायक अध्यापिका (गृह विज्ञान)	1—किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान या सौपरिवेशिकी (यूथेनिक्स) में उपाधि । 2—एल०टी० में डिप्लोमा वा बी० टी० या बी०एड० या लेडी इरविन कालेज, नई-दिल्ली से 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा या सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा । 3—हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान ।

(ख) क्रम संख्या 20 की मद के पश्चात निम्नलिखित मद स्तम्भवार जोड़ दी जायेगी, अर्थात—

21—सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (वाणिज्य)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि।	
	(दो) एल० टी० या बी० एड० या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या उपाधि।	

नियम 10 का प्रतिस्थापन

5—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए नियम 10 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात—

	स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
आयु	10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की "आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिये और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये— परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 13 का प्रतिस्थापन

6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात—

	स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
शारीरिक स्वस्थता	13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक	"शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और

दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि—	वह किसी ऐसे दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खन्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फन्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें;
(क) किसी राजपत्रित पद या सेवा की स्थिति में, वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय।	
(ख) सेवा में अन्य पदों की स्थिति में, वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्यान तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :	
परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।	परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

नियम 14 का प्रतिस्थापन

7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 (वर्तमान नियम)		स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)	
रिक्तियों का अवधारण	14. शिक्षा निदेशक, नियुक्ति प्राधिकारियों से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनु-	रिक्तियों का अवधारण	14. संबंधित मण्डल का मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली पुरुष और महिला शाखा दोनों की रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनु-

सूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उनकी सूचना आयोग को देगा ।

सूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

नियम 15 का प्रतिस्थापन

9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 (वर्तमान नियम)		स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)	
सीधी भर्ती की प्रक्रिया	15. (1) सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिये विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जिसे आयोग के सचिव से भुगतान करने पर प्राप्त किया जा सकता है ।	**सीधी भर्ती की प्रक्रिया**	15. (1) (क) सम्बन्धित मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली दोनों शाखाओं (पुरुष और महिला शाखा) की रिक्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में जिनमें से एक का मण्डल में और दूसरे का राज्य में विस्तृत परिचालन होगा, विषयवार रिक्तियों को विज्ञापित करेगा, और परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रारूप में सीधी भर्ती के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा । ऐसे विज्ञापन में अन्य बातों के साथ पदो से सम्बन्धित वेतन और भत्तों और उसमें नियुक्ति के लि
	2. आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हताएँ पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जितने वह उचित समझे ।		
	3. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता-क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता		

के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी आयोग सूची शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को अग्रसारित करेगा।

न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ और ऐसी अन्य सूचना जो आवश्यक समझी जाय, का उल्लेख किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को विज्ञापन के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा ताकि वह विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन पत्र की प्राप्ति के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में पहुँच जाय।

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे—

(एक) रेखांकित पोस्टल आर्डर के रूप में पन्द्रह रुपये की फीस सम्बन्धित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को देय होगी : परन्तु ऐसी फीस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में पाँच रुपये होगी,

(दो) अपना पता लिखा एक लिफाफा, और

(तीन) अन्य दस्तावेज जो अपेक्षित हों। (घ) खन्ड (ख) या (ग) के अनुसार न भेजे गये किसी भी

आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायगा।

2. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक आवेदन-पत्रों की समीक्षा करेगा और परि-शिष्ट ''घ'' में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता विन्दुओं के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची बनवायेगा। मन्ड-लीय उप शिक्षा निदेशक आवेदन-पत्रों के साथ सूची कों चयन समिति के समक्ष रखेगा

3. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होगे :

(एक) नियुक्ति प्राधि-कारी।

(दो) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक या मण्डलीय बालिका विद्यालय निरी-क्षिका जो नियुक्ति प्राधि-कारी नहीं है।

(तीन) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष होगा।

4. चयन समिति उ नियम (2) में निर्दिष्ट सूचियों के आधार प अभ्यर्थियों के मामलों प विचार करने के पश्चा योग्यता के क्रम में नियुि के लिए चुने गये अभ्यर्थि की, जैसा उपनिय

(2) के अधीन संकलित गुणवत्ता बिन्दुओं से प्रकट हो, विषयवार सूचियाँ तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर गुणता अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या उप-नियम (1) के अधीन विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात—

स्तम्भ—1 (वर्तमान नियम)		स्तम्भ—2 (एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम)	
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	16. पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायगी।	पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992, के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायगी। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986, के अनुसार

अभ्यर्थियों की पात्रता सूची या सूचियाँ तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र ऐसे अन्य पंजियों और उनसे सम्बंधित अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करते समय जहाँ दो विभिन्न पोषक संवर्ग हों :

(क) भिन्न वेतनमान की स्थिति में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायगा;

(ख) समान वेतनमान की स्थिति में अभ्यर्थियों के नाम पात्रता सूची में उनके अपने-अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखें जायेगें।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले में विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूचियाँ ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम 18 का संशोधन

10. उक्त नियमावली में, नियम 18 में, उपनियम (4) और उपनियम (5) निकाल दि जायेंगे।

नियम 19 का संशोधन

11. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 19 में वर्तमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।	(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

नियम 20 का प्रतिस्थापन

12. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
स्थायीकरण 20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—	स्थायी करण 20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा यदि —
(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,	(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजक बताया जाय
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और	(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।	(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।
	(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों

की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायगा ।

नियम 21 का प्रतिस्थापन

13. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 (वर्तमान नियम)		स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)	
ज्येष्ठता	21. (एक) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा संवर्ग में स्थायी या अस्थायी आधार पर सृजित मौलिक पद प्रर निरन्तर नियमित नियुक्ति के दिनांक के आधार पर अवधारित की जायगी । किन्तु इस नियम के प्रारम्भ के पूर्व भती किये गये पदधारियों की ज्येष्ठता इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त पद्धति के नियमों के अनुसार निर्धारित की जायगी ।	ज्येष्ठता 21.	किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी ।"
	(दो) ज्येष्ठता उपर्युक्त नियम के अनुसार सम्भागवार अवधारित की जायगी । ज्येष्ठता निर्धारित करने के पहले प्रत्येक पद धारी से इस सम्बन्ध में कि वह किसी विशिष्ट संभागीय संवर्ग में समायोजित होना चाहता है विकल्प प्राप्त कर लिया जायगा । उस दिनांक तक जब तक कि कोई पदधारी उसके द्वारा विकल्पित संवर्ग में तैनात नहीं किया जाता, वह बिना किसी अन्य लाभ के		

अन्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जायगा :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप में नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गई हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे, कारणों कीयुक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गई ।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जायँ और स्रोतों का अलग-अलग

कोटा विहित हो, वहाँ उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी एक संयुक्त सूची में उनके नाम चक्रानुक्रम में रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु---

(एक) जहाँ किसी एक स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से अधिक की जाएँ, वहाँ कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को, ज्येष्ठता के लिये अनुवर्ती, वर्ष की भर्ती में जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियाँ हो, नीचे रखा जायगा ।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हों, और ऐसी भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायँ, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेगें, जिसके बाद नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में, रखे जायेंगें ।

(तीन) जहाँ नियमों का विहित प्रक्रिया के अनुसार, किसी स्रोत से भरी न गयी रिक्तियाँ, सुसंगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं, और इस प्रकार कोटा से अधिक नियुक्तियाँ की जायं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की ज्येष्ठता दी जाएगी मानों उन्हें उनके कोटे के प्रति नियुक्त किया गया है ।

नियम 22 का संशोधन

14. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये नियम 22 में वर्तमान उपनियम (2) के के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात—

स्तम्भ—1 (वर्तमान उपनियम)		स्तम्भ—2 (एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)	
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :—		(2) 1 जनवरी, 1986 से प्रवृत्त वेतनमान निम्न प्रकार हैं :—	
पद का नाम	**वेतनमान**	**पद का नाम**	**वेतनमान**
प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष शाखा)	540-15-600-20-640-द० रो०-20-760 द० रो०-30-910 रुपया।	1. प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष शाखा)	1400-40-1800-द०रो०-50-2300 रुपये
प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (महिला शाखा)	तदैव	2. प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (महिला शाखा)	तदैव

नियम 24 का प्रतिस्थापन

15. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात—

स्तम्भ—1 (वर्तमान नियम)		स्तम्भ—2 (एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम)	
दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड	24. किसी भी व्यक्ति को— (एक) प्रथम दक्षता रोक पार की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और (दो) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।	दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड	24. किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि:— (एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय; और (द) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

परिशिष्ट क संशोधन

16. उक्त नियमावली में परिशिष्ट "क" के शीर्षक में, अंक "1982" के स्थान पर अंक "1983" रख दिया जायगा।

नई परिशिष्ट "ग" और "घ" का बढ़ाया जाना

17. उक्त नियमावली में, परिशिष्ट "ख" के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

परिशिष्ट "ग"

(नियम 15 (1) (क) देखिये)

प्रशिक्षित स्नातक (एल० टी०) श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साइज की प्रमाणित फोटो यहाँ चिपकायें।

1—आवेदित पद का नाम (जहाँ आवश्यक हो विषय का उल्लेख करें)

2—आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

3—स्थायी पता

4—डाक का पता

5—लिंग [ ] पुरुष [ ] महिला

6—जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7—समुदाय (यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का हो, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें) [अनुसूचित जाति] [अनुसूचित जनजाति] [पिछड़ा वर्ग] [अन्य]

8—नागरिकता

9—शैक्षिक अर्हतायें प्रमाणित अंक पत्र और प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम	विषय	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी	परीक्षा लेने वाली संस्था

10—पोस्टल आर्डर का विवरण

11—संलग्नकों का विवरण

घोषणा

मैं..... .....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गयी सूचनायें सही हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'घ''

(नियम 15 (2) देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए गुणवत्ता बिन्दु :—

परीक्षा का नाम	गुणवत्ता बिन्दु
1—हाई स्कूल	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत}}{10}$
2—इण्टरमीडिएट	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 2}{10}$
3—स्नातक उपाधि	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 4}{10}$

अन्य

4—प्रशिक्षण :—	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
(क) सिद्धान्त	12	6	3
(ख) क्रियात्मक	12	6	3
5—स्नातकोत्तर उपाधि	15	10	5

आज्ञा से,

(वी. वेंकटाचलम)

विशेष सचिव, शिक्षा

क्रम-संख्या 273

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

अधिसूचना संख्या 05/15-2-12-27(268)-2008, दिनांक 03-01-2012 द्वारा हिन्दी रूपान्तर में संशोधन/शुद्धि-पत्र जारी किया गया।

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 8 सितम्बर, 2010

भाद्रपद 17, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग—2

संख्या 3854/15-2-2010-27(268)-2008

लखनऊ, 08 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि० 49

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 8 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 8 में शैक्षिक अर्हताओं की तालिका में नीचे स्तम्भ--1 में दिये गये क्रमांकों 1, 2 और 3 पर विद्यमान मदों के स्थान पर स्तम्भ--2 में दिये गये मद स्तम्भवार रख दिये जायेंगे, अर्थात् :--

स्तम्भ--1 विद्यमान मदें	स्तम्भ--2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें
1(क) सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (सामान्य) और मुख्य अनुदेशक, शिक्षा प्रसार कार्यालय	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।
(ख) सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका, सामान्य (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल राजनीति शास्त्र और अर्थ शास्त्र में से कम से कम किन्हीं दो विषयों में स्नातक की उपाधि।
	(दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।

स्तम्भ--1 विद्यमान मदें	स्तम्भ--2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें
1(क) सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (सामान्य) और शिक्षा प्रसार कार्यालय में मुख्य अनुदेशक	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा या डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा)।
(ख) सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका, सामान्य (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल राजनीति शास्त्र और अर्थ शास्त्र में से कम से कम किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा या डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा)।

(दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।

स्तम्भ 1 विद्यमान पदें		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पदें	
(ग) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका, सामान्य (अंग्रेजी)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।	(ग) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका सामान्य (अंग्रेजी)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
	(दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल०टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।		(दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल०टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा या डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा)।
2(क) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका, विज्ञान (गणित / विज्ञान)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र विषयों में विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।	2(क) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका, विज्ञान (गणित / विज्ञान)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि।
	(दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।		(दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल०टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या उपाधि या डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा)।
(ख) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका, विज्ञान (जीव विज्ञान)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जन्तु शास्त्र और वनस्पति शास्त्र विषयों से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।	(ख) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका, विज्ञान (जीव विज्ञान)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विषय के रूप में जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
	(दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा।		(दो) किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा या डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा)।

	स्तम्भ-1 विद्यमान मदें	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मदें
3—सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (भाषा) (क) (हिन्दी)	हिन्दी में (मुख्य विषय के रूप में) स्नातक की उपाधि और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट या एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा।	(1) हिन्दी (मुख्य विषय) के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संस्कृत विषय के साथ इण्टरमीडिएट या संस्कृत विषय के साथ कोई समकक्ष परीक्षा।
	2- एल0टी0 में डिप्लोमा या बी0टी0 या बी0एड0 अधिमानी।	(2) एल0टी0 में डिप्लोमा या बी0टी0 या बी0एड0 या डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) अधिमान
	3 हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से साहित्य रत्न (दो वर्ष पाठ्यक्रम)	(3) प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत विषय के साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से साहित्यरत्न (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।
(ख) संस्कृत	संस्कृत विषय के साथ स्नातक की उपाधि और किसी उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा। या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी से आचार्य या शास्त्री की उपाधि और एल0टी0, बी0टी0 या बी0एड0। या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री की उपाधि (अंग्रेजी विषय के साथ) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।	(ख) संस्कृत	किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय की उपाधि या एल0टी0 डिप्लोमा या संस्कृत विषय के साथ स्नातक की उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा या डा0 शकुन्तला मिश्रा, पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी से आचार्य या शास्त्री और एल0टी, बी0टी0 या बी0एड0 या डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी से (अंग्रेजी विषय के साथ) शास्त्री की उपाधि और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।

Delete

स्तम्भ--1		स्तम्भ--2	
	विद्यमान मदें		एतदद्वारा प्रतिस्थापित मदें
(ग) उर्दू	उर्दू विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र मे उपाधि या डिप्लोमा।	(ग) उर्दू	उर्दू विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा या डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा)।
(घ) फारसी	फारसी विषय के साथ स्नातक की उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र मे उपाधि या डिप्लोमा या कामिल (इलाहाबाद या लखनऊ से) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।	(घ) फारसी	फारसी विषय के साथ स्नातक की उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा या कामिल (इलाहाबाद या लखनऊ से) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।
(ङ) अरबी	अरबी को एक विषय के रूप में लेकर स्नातक की उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र म उपाधि या डिप्लोमा। या फाजिल (इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय से) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।	(ङ) अरबी	अरबी को एक विषय के रूप में लेकर स्नातक की उपाधि और किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा। या फाजिल (इलाहाबाद या लखनऊ) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।

नियम 15 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में नियम—15 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) में नीचे स्तम्भ (1) में दिये गये विद्यमान उपखण्ड एक के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात

स्तम्भ 1	स्तम्भ—2
विद्यमान उपखण्ड	एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-खण्ड
खण्ड (क) मे निर्दिष्ट आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे — (एक) रेखांकित पोस्टल आर्डर के रूप में पन्द्रह रुपये की फीस संबंधित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को देय होगी परन्तु ऐसी फीस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले मे पाच रुपये होगी।	(एक) संबंधित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के पक्ष में देय रेखांकित पोस्टल आर्डर / बैंक ड्राफ्ट के रूप में सौ रुपये की फीस: परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में एसी फीस चालीस रुपये होगी।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
सचिव।

N. Shiksha data 2

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 03 जनवरी, 2012

पौष 13, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग—2

संख्या 05 / 15—2-12—27(268)-2008
लखनऊ, 03 जनवरी, 2012

अधिसूचना

स्पष्टीकरण / शुद्धि-पत्र

सा0प0नि0—1

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 से संबंधित अधिसूचना / प्रकीर्ण संख्या 3854 / 15-2—2010—27-(268)-2008, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के नियम 8(3) के अन्तर्गत हिन्दी रूपान्तर में निम्नलिखित मुद्रित हैं :—

सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (भाषा) (क) हिन्दी	(1) हिन्दी (मुख्य विषय) के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संस्कृत विषय के साथ इण्टरमीडिएट या संस्कृत विषय के साथ कोई समकक्ष परीक्षा।
	(2) एल०टी० में डिप्लोमा या बी०टी० या बी०एड० या डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा) अधिमान।
	(3) प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत विषय के साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से साहित्यरत्न (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।

2–प्रश्नगत सेवा नियमावली के नियम 8(3) पर उल्लिखित अर्हता की मद संख्या 1 व 2 अनिवार्य अर्हताएँ हैं तथा मद संख्या 3 पर उल्लिखित अर्हता अधिमानः अर्हता है। त्रुटिवश अधिमानः शब्द मद संख्या 2 के साथ मुद्रित हो गया है। अतः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेर्ण।) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 संबंधी अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 3854/15-2–2010–27-(268)-2008, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के नियम 8(3) के अन्तर्गत हिन्दी रूपान्तर में निम्नवत् पढ़ा जाय :–

सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका (भाषा) (क) हिन्दी	(1) हिन्दी (मुख्य विषय) के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संस्कृत विषय के साथ इण्टरमीडिएट या संस्कृत विषय के साथ कोई समकक्ष परीक्षा।
	(2) एल०टी० में डिप्लोमा या बी०टी० या बी०एड० या डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा)।
	अधिमान :
	(3) प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत विषय के साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से साहित्यरत्न (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।

उक्त सीमा तक अधिसूचना/प्रकीर्ण को संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 613 राजपत्र (हि०)–2012–(1508)–599 प्रतियां–(क०/आ०)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 11 सा० शिक्षा–2012–(1509)–200 प्रतियां–(क०/आ०)।

क्रम-संख्या–65(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 फरवरी, 2014
फाल्गुन 9, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग–2

संख्या 240/15-2–2014-27(268)-2008
लखनऊ, 28 फरवरी, 2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0–31

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983, में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 10 में, विद्यमान अंक "32" के स्थान पर, अंक 40 रख दिया जायगा।

नियम 15 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नियम 15 में,—

(क) उपनियम (3) में, अन्त में निम्नलिखित "टिप्पणी" रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"टिप्पणी—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नामनिर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।"

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचियों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करने के पश्चात् योग्यता के क्रम में नियुक्ति के लिए चुने गये अभ्यर्थियों की जैसा उपनियम (2) के अधीन संकलित गुणवत्ता बिन्दुओं से प्रकट हो, विषयवार सूचियाँ तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर गुणवत्ता अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या उपनियम (1) के अधीन विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।	(4) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचियों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करने के पश्चात्, एल०टी० ग्रेड में नियुक्ति के लिए चुने गये अभ्यर्थियों की, योग्यता के क्रम में जैसा उपनियम (2) के अधीन संकलित गुणवत्ता बिन्दुओं से प्रकट हो, विषयवार सूचियाँ तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर गुणवत्ता अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

नियम 16 का संशोधन

4—उक्त नियमावली में, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992, के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।	(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नियमावली, 1992, के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। **टिप्पणी**—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

5–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 19 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
19–(1) किसी पद पर या सेवा में किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	परिवीक्षा	19–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त होने पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	परिवीक्षा
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये : परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।		(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।	
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।		(3) उपनियम (2) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।	
(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।		(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित या किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	
(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित या किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।			

परिशिष्ट "घ" का प्रतिस्थापन

6–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट "घ" के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट "घ" [नियम 15(2) देखिये]			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट "घ" [नियम 15(2) देखिये]		
सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए गुणवत्ता बिन्दु:			सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए गुणवत्ता बिन्दु:		
परीक्षा का नाम	गुणवत्ता अंक		परीक्षा का नाम	गुणवत्ता अंक	
1–हाई स्कूल .....अंकों का प्रतिशत / 10			1–हाई स्कूल ..... अंकों का प्रतिशत / 10		
2–इण्टरमीडिएट .....अंकों का प्रतिशत x 2 / 10			2–इण्टरमीडिएट .....अंकों का प्रतिशत x 2 / 10		
3–स्नातक उपाधि.....अंकों का प्रतिशत x 4 / 10			3–स्नातक उपाधि.....अंकों का प्रतिशत x 4 / 10		
अन्य:			अन्य:		
4–प्रशिक्षण: प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	4–प्रशिक्षण: प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
(क) सिद्धान्त 12	06	03	(क) सिद्धान्त 12	06	03
(ख) क्रियात्मक....12	06	03	(ख) क्रियात्मक...12	06	03
5–स्नातकोत्तर...15 उपाधि	10	05			

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 240/XV-2–2014-27(268)-2008, dated February 28, 2014:

No. 240/XV-2–2014-27(268)-2008
Dated Lucknow, February 28, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service Rules, 1983.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE EDUCATIONAL (TRAINED GRADUATES GRADE) SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2014

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Subordinate Education (Trained Graduates Grade) Service (Third Amendment) Rules, 2014

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 10

2. In the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service Rules, 1983, hereinafter referred to as the said rules, in rule 10, *for* the existing figure "32", the figure "40" shall be *substituted*.

Amendment of rule 15

3. In the said rules, in rule 15,–

(a) in sub-rule (3), at the end, the following "NOTE" shall be *inserted*, namely:–

"NOTE– Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time."

(b) *for* existing sub-rule (4) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(4) The Selection Committee shall, after considering the cases of candidates on the basis of lists referred to in sub-rule (2) prepare subject wise lists of selected candidates for appointment in L.T. grade in order of merit as disclosed by the quality points compiled under sub-rule (2). If two or more candidates obtain equal quality points, the name of the candidate who is older in age shall be placed higher in list. The number of names in the list shall be larger (but not larger by more than tweny-five per cent) than the number of vacancies advertised under sub-rule (1).	(4) The Selection Committee shall, after considering the cases of candidates on the basis of lists referred to in sub-rule (2) prepare subject wise lists of selected candidates for appointment in L.T. grade in order of merit as disclosed by the quality points compiled under sub-rule (2). If two or more candidates obtain equal quality points, the name of the candidate who is older in age shall be placed higher in the list.

Amendment of rule 16

4. In the said rules, in rule 16, *for* existing sub-rule (1) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, through a Selection Committee consituted in accordance with the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee (for Posts Outside the Purview of the Service Commission) Rules, 1992, as amended from time to time.	(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provision of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time. NOTE–Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

Substitution of rule 19

5. In the said rules, *for* existing rule 19 set out in column-1 below, the rules as set out in column-2 shall be *substituted*, namely :-

	COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Probation	19. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.	Probation	19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013.
	(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted : Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.		(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
	(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.		(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
	(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.		(4) The appointing authority may allow continuous service, renderd in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent are higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
	(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.		

6. In the said rules, *for* the existing Appendix 'D' set out in column-1 below, the Appendix as set out in column-2 shall be *substituted*, namely :- Substitution of Appendix 'D'

COLUMN-1

Existing Appendix

Appendix 'D'

[*See* Rule 15(2)]

Quality points for selection by direct recruitment:

Name of Examination	Quality Points
1. High School----------------	$\frac{\text{The percentage of marks}}{10}$
2. Intermediate---------------	$\frac{\text{The percentage of marks} \times 2}{10}$
3. Graduate Degree---------	$\frac{\text{The percentage of marks} \times 4}{10}$

Others:

4. Training:	I Division	II Division	III Division
(a) Theory...	12	06	03
(b) Practical...	12	06	03
5. Post .... Graduate Degree	15	10	05

COLUMN-2

Appendix as hereby substituted

Appendix 'D'

[*See* Rule 15(2)]

Quality points for selection by direct recruitment:

Name of Examination	Quality Points
1. High School--------------	$\frac{\text{The percentage of marks}}{10}$
2. Intermediate-------------	$\frac{\text{The percentage of marks} \times 2}{10}$
3. Graduate Degree-------	$\frac{\text{The percentage of marks} \times 4}{10}$

Others:

4. Training:	I Division	II Division	III Division
(a) Theory...	12	06	03
(b) Practical...	12	06	03

By order,
JITENDRA KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 843 राजपत्र (हि०)–2014–(1906)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / ट्रे० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी० ए०पी० 15 सा० शिक्षा 2014 (1907) 100 प्रतियां (कम्प्यूटर / ट्रे० / आफसेट)।

843RPH Data 2 (Niyama Shi

क्रम-संख्या–213

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्शेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 19 अक्टूबर, 2016

आश्विन 27, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग–2

संख्या 1077/15-2–2016-27(268)-2008

लखनऊ, 19 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०–564

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन), नियमावली 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम–3 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ 1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य पुरूष शाखा की दशा में सम्भागीय शिक्षा उप निदेषक से और महिला शाखा के सम्बन्ध में सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है;	(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य पुरूष शाखा और महिला शाखा दोनों के सम्बन्ध में, अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से है;

नियम–4 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नियम 4 में ,–

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ 1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) पुरूष और महिला दोनों शाखाओं के लिए सम्भागीय संवर्ग होंगे।	(1) पुरूष शाखा एवं महिला शाखा दोनों शाखाओं के लिए राज्य संवर्ग होंगे।

(ख) उपनियम (4) निकाल दिया जायेगा।

नियम 8 का प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

शैक्षिक अर्हता

8–सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं या सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की गयी अर्हताएं रखता हो:–

(1)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) सामाजिक विज्ञान	(एक) भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम से कम किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(2)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) अंग्रेजी	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(3)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) गणित	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(4)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) विज्ञान	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(5)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) जीव विज्ञान	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(6)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हिन्दी	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(7)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) संस्कृत	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विष्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।

(8)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) उर्दू	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विष्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(9)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) फारसी	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में फारसी के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा, स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(10)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) अरबी	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में अरबी के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(11)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) पाली, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम और नेपाली	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(12)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) कला	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(13)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) शारीरिक षिक्षा	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0पी0एड0 अथवा बी0पी0ई0 की उपाधि।
(14)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) संगीत	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि, अथवा भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। **टिप्पणी**–संगीत विषारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता बिन्दु आबंटित नहीं किये जायेंगे। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक उपाधि।
(15)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) कृषि/उद्यानकर्म	(एक)भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/उद्यानकर्म में स्नातक की उपाधि। (दो)भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(16)	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) वाणिज्य	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।

(17)	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) गृह विज्ञान	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(18)	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) कम्प्यूटर	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0टेक0/बी0ई0 (कम्प्यूटर विज्ञान में), अथवा कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक, अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, अथवा एन.आई.ई.एल.आई.टी. से 'ए' स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(19)	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) मानव–विज्ञान	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानव–विज्ञान में स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
(20)	सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) सिलाई	(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।

नियम 14 का प्रतिस्थापन

5–उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

रिक्तियों की अवधारणा

14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली पुरुष और महिला दोनों शाखाओं की विषयवार रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

नियम 15 का प्रतिस्थापन

6–उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15–(एक)(क) नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली दोनों शाखाओं (पुरुष/महिला) की विषयवार रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी विज्ञापित करेगा। रिक्तियां निम्न प्रकार से अधिसूचित की जायेंगी:–

(एक) व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय/कार्यालयों के सूचना-पट पर सूचना चिपका करके अथवा आकाशवाणी/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करवा के; और

(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

टिप्पणी–(1) विज्ञापन में, अन्य बातों के अतिरिक्त पदों के सम्बन्ध में न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, वेतन और भत्ते और ऐसी अन्य सुसंगत सूचना, जो कि आवश्यक समझी जाय, उल्लिखित की जायेंगी।

टिप्पणी–(2) सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र ऐसे प्रारूप पर आनलाइन आमंत्रित किये जायेंगे जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(ख) खण्ड (क) के अधीन आमंत्रित किये जाने वाले आनलाइन आवेदन-पत्र खण्ड (क) के अधीन जारी विज्ञापन में नियत तिथि या उसके पूर्व प्राप्त किये जायेंगे।

(ग) खण्ड (क) में उल्लिखित प्रारूप में आवेदन-पत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:–

(एक) सरकार द्वारा विहित रीति में भिन्न–भिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क की धनराशि सरकार द्वारा यथा विनिश्चित की जाय;

(दो) स्वनामांकित पते का लिफाफा; और

(तीन) अन्य अपेक्षित दस्तावेज।

(घ) ऐसे आवेदन-पत्र, जो कि विहित प्रारूप पर नहीं हों या अपूर्ण हों या त्रुटिपूर्ण हों, पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगा और परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी आवेदन-पत्रों के साथ ऐसी तैयार की गयी सूची को चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) सीधी भर्ती द्वारा चयन के प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी –अध्यक्ष

(दो) संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), उत्तर प्रदेश –सदस्य

(तीन) संयुक्त शिक्षा निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश –सदस्य

टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम–निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(4) चयन समिति उप–नियम (2) में निर्दिष्ट सूचियों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करने के पश्चात् योग्यतानुक्रम में नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की, जैसा कि उप–नियम (2) के अधीन संकलित गुणवत्ता अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूचियां तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर गुणवत्ता अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

7–उक्त नियमावली में, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 16 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित, (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नियमावली, 1992, के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। **टिप्पणी**–चयन समिति में अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष (दो) संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), उत्तर प्रदेश – सदस्य (तीन) संयुक्त शिक्षा निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश – सदस्य **टिप्पणी**–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित

स्तम्भ–1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

नियम 22 का प्रतिस्थापन

8–उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

वेतनमान

22–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नलिखित हैं:–

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रु0)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रु0)
1–प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष शाखा)	वेतन बैंण्ड–2	9300–34800	4600
2–प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (महिला शाखा)	वेतन बैंण्ड–2	9300–34800	4600

नियम 24 का निकाला जाना

9–उक्त नियमावली में, नियम 24 निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट 'क' का प्रतिस्थापन

10–उक्त नियमावली में, विद्यमान परिशिष्ट 'क' के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात्:–

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4 देखिये)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (पुरुष शाखा) की सदस्य संख्या–

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4
सहायक अध्यापक एल0टी0 ग्रेड (पुरुष शाखा)	3376	3451	6827

परिशिष्ट 'ख' का प्रतिस्थापन

11–उक्त नियमावली में, विद्यमान परिशिष्ट 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात्:–

परिशिष्ट 'ख'

(नियम 4 देखिये)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (महिला शाखा) की सदस्य संख्या–

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4
सहायक अध्यापक एल0टी0 श्रेणी (महिला शाखा)	3793	3908	7701

परिशिष्ट 'ग' का निकाला जाना

12–उक्त नियमावली में, विद्यमान परिशिष्ट 'ग' निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1077/XV-2–2016-27(268)-2008, dated October 19, 2016 :

No. 1077/XV-2–2016-27(268)-2008

Dated Lucknow, October 19, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service Rules, 1983.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE EDUCATIONAL (TRAINED GRADUATES GRADE) SERVICE (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service (Fourth Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service Rules, 1983, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3, *for* existing clause (a) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1 *Existing clause*	COLUMN-2 *Clause as hereby substituted*
(a)'appointing authority' means Regional Deputy Director of Education in case of Men's Branch and Regional Inspectress of Girls School in respect of Women's Branch.	(a) 'appointing authority' in respect of the posts of Men's Branch and Women's Branch both means the Additional Director of Education (Secondary), Uttar Pradesh, Allahabad.

Amendment of rule 4

3. In the said rules, in rule 4,–

(a) *for* existing sub-rule (1) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule as hereby substituted*
(1) There shall be regional cadres both for men and women branches.	(1) There shall be state cadres both for men and women branches

(b) sub-rule (4) shall be *omitted*.

Substitution of rule 8

4. In the said rules, *for* existing rule 8, the following rule shall be *substituted*, namely:-

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications or as specified by the Government from time to time:--

(1) Assistant Teacher (Men/Women) Social Science	(i) Bachelor's degree with at least any two of the subjects amongst the subjects History, Geography, Political Science and Economics from a recognised University in India. (ii) B.Ed. or equivalent degree from a recognised University in India.
(2) Assistant Teacher (Men/Women) English	(i) Bachelor's degree with English literature from a recognised University in India or an equivalent degree recognised by the Government. (ii) B.Ed. or equivalent degree from a recognised University in India.

(3) Assistant Teacher(Men/Women) Mathematics	(i) Bachelor's degree with Mathematics as one of the subjects from a recognised University in India. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(4) Assistant Teacher(Men/Women) Science	(i) Bachelor's degree with Physics and Chemistry as subjects from a recognised University in India or an equivalent degree recognised by the Government. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(5) Assistant Teacher (Men/Women) Biology	(i) Bachelor's degree with Zoology and Botany from a recognised University in India or equivalent degree recognised by the Government. (ii) B.Ed or an equivalent degree from a recognised University in India.
(6) Assistant Teacher (Men/Women) Hindi	(i) Bachelor's degree with Hindi as a subject from a recognised University in India and Intermediate with Sanskrit as a subject or equivalent examination with Sanskrit. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(7) Assistant Teacher (Men/Women) Sanskrit	(i) Bachelor's degree with Sanskrit as one of the subjects from a recognised University in India or equivalent degree from a University recognised by the Government. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(8) Assistant Teacher (Men/Women) Urdu	(i) Bachelor's degree with Urdu as one of the subjects from a recognised University in India or equivalent degree from a University recognised by the Government. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(9) Assistant Teacher (Men/Women) Persian	(i) Bachelor's degree with Persian as one of the subjects from a recognised University in India. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(10) Assistant Teacher (Men/Women) Arabic	(i) Bachelor's degree with Arabic as one of the subjects from a recognised University in India. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(11) Assistant Teacher (Men/Women) Pali, Gujrati, Punjabi, Bangla, Marathi. Assamese, Uriya, Kannad, Kashimiri, Sindhi, Tamil, Telgu, Malayalam and Nepali.	(i) Bachelor's degree in the related subject from a recognised University in India. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.

(12) Assistant Teacher (Men/Women) Arts	(i) Bachelor's degree with Art subject or Fine Arts from a recognised University in India. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(13) Assistant Teacher (Men/Women) Physical Education	(i) Bachelor's degree from a recognised University in India. (ii) B.P.Ed or B.P.E. degree from a recognised University in India.
(14) Assistant Teacher (Men/Women) Music	(i) Bachelor's degree with Music as a subject from a recognised University in India. or (i) Bachelor's degree from a recognised University in India with Sangeet Visharad from Bhatkhande Sangeet Maha vidyalaya or Sangeet Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad. **Note-**No quality points shall be allocated for Sangeet Visharad or Sangeet Prabhakar. (ii) B.Ed degree from a recognised University in India.
(15) Assistant Teacher (Men/Women) Agriculture/Horticulture	(i) Bachelor's degree in Agriculture/ Horticulture from a recognised University in India. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(16) Assistant Teacher (Men/Women) Commerce	(i) Bachelor's degree in Commerce from a recognised University in India or any equivalent degree recognised by the Government. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(17) Assistant Teacher (Men/Women) Home Science	(i) Bachelor's degree with in Home Science as a subject from a recognised University in India. (ii) B.Ed or equivalent degree from a recognised University in India.
(18) Assistant Teacher (Men/Women) Computer	(i) B. Tech./B.E. (in Computer Science) from a recognised University in India, or B.Sc. in Computer Science, or B.Sc. in Computer Application or Bachelor of Computer Application or Bachelor's degree with 'A' level course from NIELIT (ii) B.Ed. or equivalent degree from a recognised University in India.
(19) Assistant Teacher (Men/Women) Anthropology	(i) Bachelor's degree in Anthropology from a recognised University in India. (ii) B.Ed. or equivalent degree from a recognised University in India.

(20) Assistant Teacher (Men/Women) Tailoring	(i) Bachelor's degree in Fashion Designing from a recognised University of India. (ii) B.Ed. or equivalent degree from a recognised University in India.

Substitution of rule 14 Determination of vacancies

5. In the said rules, *for* existing rule 14, the following rule shall be *substituted*, namely:-

14. The appointing authority shall determine the number of subject-wise vacancies of Men's and Women's Branches both to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Substitution of rule 15 Procedure of direct recruitment

6. In the said rules, *for* existing rule 15, the following rule shall be *substituted* namely:-

15. (1) (a) The appointing authority shall advertise the number of subject-wise vacancies to be filled by direct recruitment of both branches (Men/Women) as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories. The vacancies shall be notified in the following manner:-

(i) by issuing advertisement in two daily new papers having wide circulation;

(ii) by pasting the notice on the notice board of the office/offices or by advertising through Radio/Television and other Employment news papers; and

(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

NOTE-(1) In the advertisement, besides other things, minimum educational qualifications, pay and allowances and such other relevant information regarding the posts which is considered necessary shall be mentioned.

NOTE-(2)- The applications for direct recruitment shall be invited online on such format as prescribed by the Government.

(b) The applications to be invited online under clause (a) shall be obtained on or before the date fixed in the advertisement issued under clause (a).

(c) The application in the format mentioned in clause (a) shall include the following-

(i) The amount of fee as decided by the Government for different categories of candidates in the manner prescribed by the Government,

(ii) Self-addressed envelop, and

(iii) Other required documents.

(d) The applications which are not on the prescribed format or incomplete or contain errors shall not be considered.

(2) The appointing authority shall scrutinize the applications and prepare lists of eligible candidates on the basis of the quality points specified in Appendix 'D'. The appointing authority shall place the list so prepared along with the applications before the Selection Committee.

(3) For the purpose of selection by direct recruitment, there shall be constituted a Selection Committee comprising:

(i) Appointing Authority	– *Chairman*
(ii) Joint Director of Education (Women), Uttar Pradesh	– *Member*
(iii) Joint Director of Education (Finance), Uttar Pradesh	– *Member*

NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

(4) The Selection Committee shall after considering the cases of candidates on the basis of lists referred to in sub-rule(2), prepare subject-wise lists of selected candidates for appointment in order of merit as disclosed by the quality points compiled under sub-rule (2). If two or more candidates obtain equal quality points, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Selection Committee shall forward the lists to the appointing authority.

7. In the said rules, in rule 16, for existing sub-rule(1) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 16

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance to the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.	(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, the Selection Committee shall be constituted as follows: (i) Appointing authority - *Chairman* (ii) Joint Director of Education (Women), Uttar Pradesh - *Member* (iii) Joint Director of Education (Finance Uttar Pradesh) - *Member*
NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.	NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

8. In the said rules, *for* existing rule 22, the following rule shall be *substituted*, namely:- Substitution of rule 22

Scale of pay-22 (1) The scale of the pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service (Fourth Amendment) Rules, 2016 are given below:

Name of post	Scale of pay		
	Name of pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay(Rs.)
1. Trained Graduates Grade(Men's Branch)	Pay Band-2	9300-34800	4600
2. Trained Graduates Grade(Women's Brach)	Pay Band-2	9300-34800	4600

Omission of rule 24

9. In the said rules, rule 24 shall be *omitted*.

Substitution of Appendix 'A'

10. In the said rules, *for* the existing Appendix 'A', the following Appendix shall be *substituted*, namely:-

APPENDIX 'A'

(*See* Rule 4)

The strength of Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service (Men's Branch)

Name of post	Number of posts		
	Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4
Assistant Teacher L.T. Grade (Men's Branch)	3376	3451	6827

Substitution of Appendix 'B'

11. In the said rules, *for* the existing Appendix 'B', the following Appendix shall be *substituted*, namely:-

APPENDIX 'B'

(*See* Rule 4)

The strength of Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service (Women's Branch)

Name of post	Number of posts		
	Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4
Assistant Teacher L.T. Grade (Women's Branch)	3793	3908	7701

Omission of Appendix 'C'

12. In the said rules, the existing Appendix 'C' shall be *omitted*.

By order,
JITENDRA KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 535 राजपत्र (हि0)–2016–(1227)–599 प्रतियां (क0/टी0/आ0) ।
पी0एस0यू0पी–ए0पी0 5 सा0 शिक्षा–2016–(1228)–300 प्रतियां (क0/टी0/आ0) ।

क्रम-संख्या–180 (क–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन0पी0–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 अगस्त, 2017

भाद्रपद 1, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग–2

संख्या 1230 / 15-2–2017-27(268)-2008

लखनऊ, 23 अगस्त, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०–262

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (पंचम संशोधन), नियमावली 2017 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–3(ग) का बढाया जाना

2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-3ख के पश्चात नियम-3ग बढा दिया जायेगा, में, अर्थात:–

(ग) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है।

नियम 5 का संशोधन

3–(क) उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

3(ख) उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 3(ख) निकाल दिया जायेगा।

नियम–10 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये, विद्यमान नियम 10 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये:	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये:
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 15 का संशोधन

5–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम–15 में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड–(1) (क) (ख) (ग), (2) (3) और (4) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15-(एक) (क) नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली दोनों शाखाओं (पुरूष/महिला) की विषयवार रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी विज्ञापित करेगा। रिक्तिया निम्न प्रकार से अधिसूचित की जायेंगी:– (एक) व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करके, (दो) कार्यालय/कार्यालयों के सूचना पट पर सूचना चिपका करके अथवा आकाशवाणी/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करवा के , और (तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके। **टिप्पणी (1)**–विज्ञापन में, अन्य बातों के अतिरिक्त पदों के सम्बन्ध में न्यूनतम शैक्षिक अर्हताए, वेतन और भत्ते और ऐसी अन्य सुसगत सूचना, जो कि आवश्यक समझी जाय, उल्लिखित की जायेंगी। **टिप्पणी (2)**–सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र ऐसे प्रारूप पर ऑनलाइन आमत्रित किये जायेंगे जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाय। (ख) खण्ड (क) के अधीन आमंत्रित किये जाने वाले ऑनलाइन आवेदन–पत्र खण्ड (क) के अधीन जारी विज्ञापन में नियत तिथि या उसके पूर्व प्राप्त किये जायेंगे।	15-(1) नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली दोनों शाखाओं (पुरूष/महिला) की विषयवार रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दी जायेगी। (2) विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क की धनराशि का विनिश्चय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विहित रीति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। (3) प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति के लिए आवेदन–पत्र, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। (4) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह आयोग द्वारा जारी प्रवेश प्रमाण–पत्र धारित न करता हो। (5) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त किये जाने और तालिकाबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता

स्तम्भ–एक विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) खण्ड (क) में उल्लिखित प्रारूप में आवेदन–पत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होगा– (एक) सरकार द्वारा विहित रीति में भिन्न–भिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क की धनराशि सरकार द्वारा यथा विनिश्चित की जाय, (दो) स्वनामांकित पते का लिफाफा, और (तीन) अन्य अपेक्षित दस्तावेज। (घ) ऐसे आवेदन–पत्र, जो कि विहित प्रारूप पर नही हो या अपूर्ण हो या त्रुटिपूर्ण हों, पर विचार नही किया जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगा और परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओ के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी आवेदन पत्रों के साथ ऐसी तैयार की गयी सूची को चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) सीधी भर्ती द्वारा चयन के प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगे:– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी –अध्यक्ष (दो) संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), उत्तर प्रदेश –सदस्य (तीन) संयुक्त शिक्षा निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश –सदस्य टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम–निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा(अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा। (4) चयन समिति उप–नियम (2) में निर्दिश्ट सूचियों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करने के पश्चात् योग्यतानुक्रम में नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की, जैसाकि उप–नियम (2) के अधीन संकलित गुणवत्ता अंकों से प्रकट हो, विशयवार सूचियां तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर गुणवत्ता अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	को दृष्टिगत् रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो इस संबंध में आयोग द्वारा नियत किये गये मानक के अनुरुप आये हों। (6) आयोग, लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा यथा प्रकटित प्रवीणता क्रम में, अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और ऐसी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें नियुक्ति हेतु उपयुक्त माना जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा। **टिप्पणी**– प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम और नियम वही होंगे जैसाकि आयोग द्वारा समय–समय पर सरकार की सहमति से विहित किया जाय।
परिशिष्ट "घ" का निकाला जाना	4–उक्त नियम 15 में, विद्यमान परिशिष्ट "घ" निकाल दिया जायेगा।

नियम 16 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये, विद्यमान उपनियम(16) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष (दो) संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), उत्तर प्रदेश – सदस्य (तीन) संयुक्त शिक्षा निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश – सदस्य टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।	निकाल दिया गया

नियम 17 का संशोधन

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।	निकाल दिया गया।

नियम 18 का संशोधन

8–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये, विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथा स्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों। (2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां	(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उस क्रम में लेकर, जिस क्रम में वे नियमावली के अधीन प्रस्तावित सूचियों में हो, नियुक्ति करेगा। (2) निकाल दिया गया।

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।	
(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथा–स्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठाक्रम में किया जायगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची के अनुसार रखे जायेंगे।	(3) निकाल दिया गया।
(4) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से प्राप्त तदर्थ नियुक्ति के लिये चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इन नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी, और जहां पद आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हो, वहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्ध लागू होंगे।	(4) निकाल दिया गया।
(5) तदर्थ नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों का चयन पहले ही की तरह शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्रीय तौर पर किया जायगा उनकी सूची के पूरी हो जाने के पश्चात् शिक्षा निदेशक अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेज देगा। सूची अभ्यर्थियों के विकल्प के अनुसार संभागवार तैयार की जायगी।	(5) निकाल दिया गया।

नियम 22 का प्रतिस्थापन

9–उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 22 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

वेतनमान–22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसाकि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान निम्नलिखित रूप में दिये गये हैं:–

पद का नाम	वेतनमान
1. प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरूष शाखा)	लेवेल–7 रु. 44,900–1,42,400
2. प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी(महिला शाखा)	लेवेल–7 रु. 44,900–1,42,400

आज्ञा से,
संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1230/XV-2--2017-27(268)-2008, dated August 23, 2017:

No. 1230/XV-2--2017-27(268)-2008

Dated Lucknow, August 23, 2017

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service Rules, 1983.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE EDUCATIONAL (TRAINED GRADUATES GRADE) SERVICE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2017

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service (Fifth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

Insertion of rule 3(c)

2. In the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service Rules, 1983, hereinafter referred to as the said rules, *after* rule 3b rule 3(c) shall be *inserted*, namely:-

(c) 'commission' means the Public Service Commission, Uttar Pradesh.

Amendment of rule 5

3. (a) In the said rules, *for* existing rule 5, set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing clause	*Clause as hereby substituted*
Direct recruitment by the selection committee.	By direct recruitment through the commission.

3. (b) In the said rules the existing rule 3(b) shall be *omitted*.

Amendment of rule 10

4. In the said rules, *for* existing rule 10, set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 30 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the post are advertised during the peroid January 1 to June 30 and on July 1 if the post are advertised during the period July 1 to December 31:	A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:
Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Amendment of rule 15

5. In the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service Rules, 1983, hereinafter referred to as the said rules, in rule 15, *for* existing clauses (1) (a) (b) (c), (2) (3) and (4) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing clauses*	COLUMN-2 *Clauses as hereby substituted*
Procedure of direct recruitment-- In the said rules, for existing rule 15, the following rule shall be *substituted*, namely:-	
15. (I)(a) The appointing authority shall advertise the number of subject-wise vacancies to be filled by direct recruitment of both branches (Men/Women) as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories. The vacancies shall be notified in the following manner:-	15. (1) The appointing authority shall determine the number of subject-wise vacancies to be filled by direct recruitment of both branches (Men/Women) as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories. The vacancies to be filled through the Public Service Commission shall be intimated to them.
(i) by issuing advertisement in two daily new papers having wide circulation;	(2) The amount of fee shall be decided by the Uttar Pradesh Public Services Commission for different categories of candidates in the manner prescribed by the Uttar Pradesh Public Services Commission.
(ii) by pasting the notice on the notice board of the office/offices or by advertising through Radio/Television and other Employment news papers; and	(3) Applications for permission to appear in the competative examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.
(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.	(4) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.
NOTE (1)- In the advertisement, besides other things, minimum educational qualifications, pay and allowances and such other relevant information regarding the posts which is considered necessary shall be mentioned.	(5) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes and other catogaries under rules 6, prepare a list of candidates who have came up to the standard fixed by the Commission in this respect.
NOTE (2)- The applications for direct recruitment shall be invited online on such format as prescribed by the Government.	(6) The Commisson shall prepare a list of candidates in order of there proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or
(b) The applications to be invited online under clause (a) shall be obtained on or before the date fixed in the advertisement issued under clause (a).	
(c) The application in the format mentioned in clause (a) shall include the following:--	
(i) The amount of fee as decided by the Government for different categories of candidates in the manner prescribed by the Government,	
(ii) Self-addressed envelop; and	

COLUMN-1 *Existing clauses*	COLUMN-2 *Clauses as hereby substituted*
(iii) Other required documents. (d) The applications which are not on the prescribed format or incomplete or contain errors shall not be considered. (2) The appointing authority shall scrutinize the applications and prepare lists of eligible candidates on the basis of the quality points specified in Appendix 'D'. The appointing authority shall place the list so prepared along with the applications before the Selection Committee. (3) For the purpose of selection by direct recruitment, there shall be constituted a Selection Committee comprising-- (i) Appointing Authority ---------*Chairman* (ii) Joint Director of Education (Women), Uttar Pradesh ---------*Member* (iii) Joint Director of Education (Finance), Uttar Pradesh ----------*Member* NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes) Act, 1994, as amended from time to time. (4) The Selection Committee shall after considering the cases of candidates on the basis of lists referred to in sub-rule (2), prepare subject-wise lists of selected candidates for appointment in order of merit as disclosed by the quality points compiled under sub-rule (2). If two or more candidates obtain equal quality points, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Selection Committee shall forward the lists to the appointing authority.	more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority. NOTE- The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission with the concurrence of the Government from time to time.

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing clauses	*Clauses as hereby substituted*
Omission of Appendix 'D'	4. In the said rule 15 the existing Appendix 'D' shall be *omitted.*

Amendment of rule 16

6. In the said rules, in rule 16 *for* existing sub rule, set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, the Selection Committee shall be constituted as follows: (i) Appointing Authority ----*Chairman* (ii) Joint Director of Education (Women), Uttar Pradesh -----*Member* (iii) Joint Director of Education (Finance), Uttar Pradesh -----*Member* NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.	*Omitted*

Amendment Of rule.17

7. In the said rules, *for* existing rule 17, set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
If any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the name of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained the, first name in the list being of the person appointed by promotion.	*Omitted*

Amendment of rule 18

8. In the said rules, *for* existing rule 18, set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists proposed under rules 15,16 or 17 as the case may be.	(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists proposed under rule 15.
(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment in by promotion regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.	(2) *Omitted*
(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointment are made both by direct recruitment and by promotion names shall be arranged in accordance with the list prepared under rule 17.	(3) *Omitted*
(4) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list referred to in sub-rule (i). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst the list of selected candidates for *ad hoc* appointment received from the Director of Education, Uttar Pradesh. Such appoitments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rule which-ever be earlier, and where the post in within the perview of the commission, the provisions of regulation 5(a) of the U.P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1954 shall apply.	(4) *Omitted*

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(5) Selections of the candidates for *ad hoc* appointment will be done as usual centrally by the Director of Education, Uttar Pradesh. After the completion of list the Director of Education will send the list of candidates to the appointing authority. The list will be prepared Region-wise according to the option of the candidates.	(5) *Omitted*

Substitution of rule 22

9. In the said rules, *for* existing rule 22, the following rule shall be *substituted*, namely:-

Scale of pay-22.(1) The scale of the pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service (Fifth Amendment) Rules, 2017 are given as follows:-

Name of post	Scale of pay
1. Trained Graduates Grade (Men's Branch)	Level-7 Rs. 44,900-1,42,400
2. Trained Graduates Grade (Women's Branch)	Level-7 Rs. 44,900-1,42,400

By order,
SANJAY AGARWAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 276 राजपत्र (हि0)–2017–(865)–599 प्रतियां (कम्प्युटर/टी0/आफसेट) ।
पी0एस0यू0पी–ए0पी0 1 सा0 शिक्षा–2017–(866)–300 प्रतियां (कम्प्युटर/टी0/आफसेट) ।